

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड,
भदभदा रोड, भोपाल

क्रमांक:- 547

भोपाल, दिनांक 07/07/23

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी की संविदा नियुक्ति

“मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड”, कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत शासकीय कम्पनी के रूप में कार्यरत है। निगम शासकीय विभागों हेतु निर्माण का कार्य करता है।

1. संविदा पद का विवरण :-

सं. क.	पद	कुल रिक्ति	संवर्ग जिसके लिये आरक्षित है
1.	वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी	01	अनारक्षित

2. संविदा नियुक्ति के लिये आवश्यक अर्हकारी शर्तें :-

- विज्ञापित संविदा नियुक्ति हेतु मध्यप्रदेश शासन एवं सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक-सी-03-12/2011/3/एक दिनांक 03 सितम्बर 2011 में अंकित आवश्यक शर्तें, मापदण्ड एवं वर्णित प्रावधान कार्पोरेशन में लागू होंगे।
- अधिवार्षिकीय आयु पूर्ण करके सेवा निवृत्त ऐसे ग्रेज्युएट अधिकारी आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिये पात्र होंगे, जिन्हें कम से कम 10 वर्ष का वित्त एवं लेखा में वरिष्ठ स्तर का अनुभव महालेखाकार कार्यालय में, मध्यप्रदेश वित्त सेवा अधिकारी के रूप में अथवा किसी शासकीय निगम/मण्डल में प्राप्त हो।
- संबंधित अधिकारी का अभिलेख समग्र रूप से “बहुत अच्छा” श्रेणी या उससे उच्च कोटि का होना आवश्यक है।
- संबंधित अधिकारी की निष्ठा के बारे में उसके सेवाकाल के दौरान किसी भी समय कोई संदेह या आक्षेप न किया गया हो और सामान्यतः ईमानदारी और दक्षता के बारे में उसकी ख्याति अच्छी रही हो तथा वर्तमान में उसके विरुद्ध कोई जॉच लम्बित न हो।
- पिछले 10 वर्षों के दौरान संबंधित अधिकारी को कोई दीर्घ शास्ति नहीं दी गयी हो।
- संबंधित अधिकारी का स्वास्थ्य अच्छी स्थिति में हो। यदि संविदा-नीति अंतर्गत चयन किया जाता है, उस स्थिति में जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मेडिकल बोर्ड के द्वारा सेवा के लिये स्वरथ पाये जाने पर ही नियुक्ति पर प्रभार ग्रहण की अनुमति प्रदान की जावेगी।
- आवेदन दिनांक को आयु 64 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। संविदा नियुक्ति प्रथमतः 01 वर्ष के लिये होगी अतः आवेदन दिनांक को 64 वर्ष तक आयु के अधिकारी ही आवेदन के लिये पात्र होंगे।



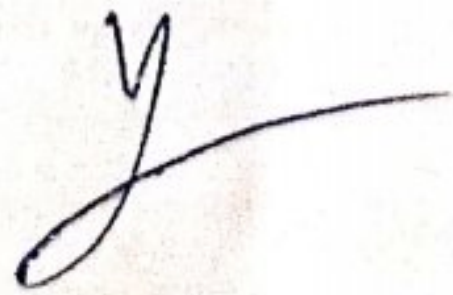
3. संविदा नियुक्ति की सामान्य शर्तें :-

1. संविदा सेवा में नियुक्ति के लिये अवधि प्रथमतः एक वर्ष की होगी, जो नियमानुसार प्रबन्ध संचालक द्वारा उत्कृष्ट कार्य पर एक-एक वर्ष के लिये बढ़ाई जा सकेगी, परन्तु 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने के उपरान्त अवधि नहीं बढ़ाई जावेगी।
2. संविदा सेवा में प्रतिमाह पेंशन की राशि घटाकर एकजाई वेतन देय होगा। एकजाई वेतन निर्धारित करने के लिये सेवा निवृत्ति के समय कुल वेतन से पेंशन की राशि घटाकर जो राशि आयेगी वह राशि संविदा वेतन के रूप में देय होगी।
3. पेंशन पृथक् से प्राप्त होगी तथा पेंशन पर देय राहत की पात्रता होगी।
4. उभय पक्षों में से किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
5. संविदा सेवा अवधि में पात्रतानुसार गृहभाड़ा भत्ता/अन्य भत्ते संविदा नियमों के अनुसार देय होगा।
6. अस्थाई शासकीय सेवकों के समान अवकाश की पात्रता होगी।
7. यात्रा भत्ते एवं अन्य भत्तों की पात्रता उसी प्रकार होगी जैसा कि सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व अधिकारी को थी।
8. संविदा नियुक्ति आदेश के 45 दिवस तक कार्यभार ग्रहण न करने पर संविदा नियुक्ति आदेश स्वतः प्रभाव शून्य हो जायेगा।
9. संविदा पर नियुक्त अधिकारी पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 लागू होंगे। उक्त पद पर कार्य करते हुए यदि उनके विरुद्ध म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विपरीत कार्य करने की सूचना प्राप्त होती है, तो उन्हें सम्यक जाँचोपरान्त दोषी पाये जाने पर प्रबन्ध संचालक द्वारा उचित कार्यवाही किये जाने का अधिकार होगा।
10. कार्यालय द्वारा जारी की गयी विज्ञप्ति एवं चयन प्रक्रिया को किसी भी समय बिना कोई कारण बताये प्रबन्ध संचालक द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।

संलग्न :- आवेदन का प्रारूप

प्रबंध संचालक

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना
विकास निगम, भोपाल



संविदा वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

1. आवेदक का पूरा नाम :-
2. पिता का नाम :-
3. जन्म तिथि :-
4. सेवा में प्रथम नियुक्ति की दिनांक एवं पद :-
5. वर्तमान पद पर नियुक्ति का दिनांक :-
6. सेवा निवृत्ति की दिनांक :-
7. सेवा निवृत्ति की दिनांक को प्राप्त वेतनमान एवं उस पर प्राप्त वेतन रु :-
8. संस्थान में कार्यानुभव का विवरण :-

सं. क.	संस्थान का नाम एवं धारित पद का विवरण	दिनांक से	दिनांक तक	कार्य अनुभव का विवरण
1.				
2.				

9. शैक्षणिक योग्यता:-

सं.क.	योग्यता का विवरण	उत्तीर्ण परीक्षा	योग्यता प्राप्ति का वर्ष	परिणाम एवं श्रेणी
1.				
2.				
3.				
4.				

10. गोपनीय चरित्रावली ग्रेडिंग (विगत 10 वर्ष) :-

सं.क.	वर्ष	श्रेणी
1.	31.03.2023	
2.	31.03.2022	
3.	31.03.2021	
4.	31.03.2020	
5.	31.03.2019	
6.	31.03.2018	
7.	31.03.2017	
8.	31.03.2016	
9.	31.03.2015	
10.	31.03.2014	

नोट :- कृपया पिछले 10 वर्षों की गोपनीय चरित्रावलियों का विवरण का कार्यालयीन प्रमाण पत्र संलग्न करें।

Y



11. सेवा काल में प्रशंसनीय कार्यों के लिये प्राप्त प्रशंसा पत्र, ईनाम की संख्या :-
(प्रशंसा पत्र की सत्यापित प्रतियाँ संलग्न किये जावें)
12. सेवाकाल में प्राप्त दण्ड लघुशस्ति, दीर्घशस्ति, चेतावनी आदि की संख्या :-
(दिनांक सहित पृथक-पृथक क्रम में अंकित कर सूची संलग्न की जावें)
13. लंबित/निराकृत, विभागीय जाँच, अपराधिक प्रकरण, अनुशासनिक जाँच की पृथक-पृथक संख्या एवं विवरण :-
(कुल आदेशित/निराकृत का विवरण पृथक-पृथक सूचीबद्ध कर संलग्न किया जावे किन्तु यदि वर्तमान में लंबित है तो आवेदन न किया जावे। जाँच लंबित न होने संबंधी 'अंडरटेकिंग' संलग्न करना अनिवार्य है। वर्तमान में अथवा सेवाकाल में ऐसी प्रत्येक जाँच का व्यौरा अंकित कर स्व-हस्ताक्षरित एवं वर्तमान स्थिति का व्यौरा सूचीबद्ध कर, तत्संबंधी 'अंडरटेकिंग' संलग्न की जावे)
14. विगत 10 वर्ष में गंभीर बीमारी के लिये अन्तः रोगी के रूप में उपचारार्थ चिकित्सालय में भर्ती की अवधि एवं चिकित्सीय आधार पर स्वीकृत लघुकृत अवकाश की अवधि का विवरण :-

समस्त अभ्यार्थी अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आवश्यक सहपत्र एवं स्वप्रमाणित प्रमाण पत्रों सहित निगम मुख्यालय मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम, भदभदा रोड, भोपाल-462003 में दिनांक 31.07.2023 को कार्यालयीन समय अपराह्न 6:00 बजे तक व्यक्तिशः अथवा डाक से भेज सकेंगे। दिनांक 31.07.2023 के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे। डाक पत्र के विलम्ब के लिये निगम उत्तरदायी नहीं होगा। अतः समस्त अभ्यार्थी नियत दिनांक तक सभी कॉलमों की पूर्ति कर आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियाँ सहित अपना आवेदन पत्र समय अवधि में प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अपूर्ण आवेदन पत्र बिना किसी सूचना के अस्वीकार कर नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

///सत्यापन-प्रमाण-पत्र///

मैं शपथ पूर्वक, सत्य निष्ठा से सत्यापित करता हूँ कि आवेदन पत्र में सं.क्र. 01 से 14 तक मेरे द्वारा अंकित की गयी जानकारी जहाँ तक मुझे ज्ञात है, मेरे अभिलेख अनुसार सही एवं सत्य है। यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती जावे तो मेरा आवेदन निरस्त कर मेरी प्रतिभागिता निरस्त कर मेरे विरुद्ध कार्यवाही के लिये प्रबंधन को अधिकार होगा।

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

